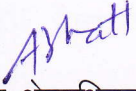


परियोजना विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 32.00 किमी० है। (प्रमाण पत्र संलग्न)


वन क्षेत्राधिकारी
मणिकर्ण रेणु, डागचौरा
वन विभाग उत्तराखण्ड


उप प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
(मुनिकीरेती)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
(मुनिकीरेती)
मुनिकीरेती (डि० ग०)

कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 1457 / 32-1-2(जी.आई.एस.) दिनांक: देहरादून, १५ फरवरी, 2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।

विषय :- वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन हेतु हवाई दूरी का प्रमाण पत्र (प्रारूप-25) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 203/33 सी० दिनांक 15-02-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर के चुन्नीखाल, तेगड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 32.0 कि०मी० GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

33 सी०
S. M. D. J. J. J.
24/02/2020

परियोजना विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।

लागू नहीं है।


अमर सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय कीर्तिनगर।
मु० कीर्तिनगर


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अभिषासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

परियोजना विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(लागू नहीं है)


अपर सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
अ० ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्य कीर्तिनगर ।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अभिज्ञानी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर